1. सत्रवाद संख्या–624 / 2022

फार्म – ए

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण। उपस्थिति–रवि रंजन, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण। (निर्णय की तिथि – 25.03.2026) सत्रवाद संख्या – 624 / 2022 कम्प्यूटर पंजीयन संख्या – 224 / 2022 (बगहा महिला थाना कांड संख्या – 46 / 2018 से उद्भूत)	
सूचक	हरेन्द्र राय, पिता–लक्षन राय, साकिन–महीपुर, थाना–बगहा, जिला–पश्चिम चम्पारण।
अभियोजन की ओर से	श्री प्रभु प्रसाद, विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त	(1) प्रेम राम, पिता–महेन्द्र राम, अनुमानित उम्र–30 वर्ष, साकिन–महीपुर, थाना–बगहा, जिला–पश्चिम चम्पारण।
अभियुक्त की ओर से	श्री आदित्य कुमार गिरी, विद्वान अधिवक्ता

फार्म – बी

घटना की तिथि	18.09.2018
प्राथमिकी की तिथि	22.09.2018
आरोप–पत्र की तिथि	05.10.2018
आरोप गठन की तिथि	30.01.2023
साक्ष्य प्रारम्भ की तिथि	22.03.2023
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	17.03.2026
निर्णय की तिथि	25.03.2026
सजा आदेश की तिथि, अगर हो तो	....

अभियुक्त का विवरण

क.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोप अन्तर्गत धारा	दोषी / दोषमुक्त	आरोपित सजा	धारा 428 दं.प्र. सं. के प्रयोजन के लिए विचारण के दौरान की गई निरोध की अवधि
1.	प्रेम राम	24.09.2018	06.11.2018	363, 366ए भा.दं.वि.	दोषमुक्त	......	......

–:निर्णयः–

1. प्रस्तुत प्रकरण में एकमात्र अभियुक्त प्रेम राम का विचारण धारा 363, 366ए भा.दं.वि. के आरोप हेतु किया जा रहा है।
2. प्रस्तुत प्रकरण के सूचक हरेन्द्र राम द्वारा पुलिस के समक्ष लिखित आवेदन दिया गया था कि दिनांक 18.09.2018 को समय करीब 11 बजे रात्रि में सूचक की नबालिक बेटी रिन्की कुमारी

उम्र 13 वर्ष को उसके घर से प्रेम राम बहला–फुसलाकर अपने प्रेमजाल में फॅसाकर अपने परिवारजनों नरसिंह राम, राजेन्द्र राम, रेंगही राम, अवधेश राम, रंजीत राम, मंजु देवी के सांठ–गांठ एवं मिली–भगत से भगाकर ले गया है। घटना के दिन सूचक की बेटी रिंकी कुमारी नगद 10 हजार रूपये एवं अपनी मॉ के नाक का सोना का छुंछी एवं कान का बाली भी साथ में लेकर गयी है। खोजबीन में विलम्ब हो जाने के कारण महिला थाना में आकर आवेदन दिया है।

3. सूचक द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर बगहा महिला थाना कांड संख्या–46 / 2018 दिनांक 22.09.2018, अभियुक्तगण प्रेम राम, नरसिंह राम, राजेन्द्र राम, रेंगही राम, अवधेश राम, रंजीत राम और मंजु देवी के विरूद्ध धारा 363, 366ए, 34 भा.दं.वि. के अन्तर्गत दर्ज किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र संख्या–51 / 2018 दिनांक 05. 10.2018, अभियुक्त प्रेम राम के विरूद्ध धारा 363, 366ए भा.दं.वि. के अन्तर्गत शेष अभियुक्तगण नरसिंह राम, राजेन्द्र राम, रेंगही राम, अवधेश राम, रंजीत राम और मंजु देवी को अनुत्प्रेषित दिखाते हुये समर्पित किया गया है जिसके आलोक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2021 को अभियुक्त प्रेम राम के विरूद्ध घटना का संज्ञान लिया गया। दिनांक 17.08.2022 को अभियुक्त का वाद दौरा सुपूर्द कर सत्र न्यायालय भेजा गया। स्थानांतरण पश्चात् यह वाद इस न्यायालय को निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

4. दिनांक 30.01.2023 को अभियुक्त प्रेम राम के विरूद्ध धारा 363, 366ए भा.दं.वि. के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया, जिसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त द्वारा उनपर लगाये गये आरोप की सत्यता से इंकार करते हुए विचारण की मॉग की गयी।

5. अभियोजन साक्ष्य बंद करने के पश्चात् दिनांक 10.03.2026 को अभियुक्त का बयान धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया।

6. न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोपों को युक्ति–युक्त ढ़ंग से संदेहों से परे साक्ष्य द्वारा साबित करने में सफल हुआ है अथवा नहीं ?

–:मन्तव्यः–

7. अभिलेख का सूक्ष्मता से परिशीलन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में कुल तीन साक्षियों अ0सा0–1 रमेश यादव, अ0सा0–2 परशुराम गोंड़ एवं अ0सा0–3 हरेन्द्र राय (सूचक) को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन की ओर से पीड़िता एवं अनुसंधानकर्ता को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में लिखित आवेदन पर अ0सा0–3 के हस्ताक्षर को प्रदर्श–1 चिन्हित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिरक्षा की ओर से कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. *अभियोजन साक्षी संख्या–1 रमेश यादव* हैं, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं अपने गांव के हरेन्द्र राय को जानता हूँ। हरेन्द्र राय की पुत्री रिंकी कुमारी जब घर से भागी थी तो उस समय मैं लुधियाना में था। मेरी पत्नी अंजु देवी ने फोन पर मुझे बताया कि हरेन्द्र राय की नाबालिक बेटी रिंकी कुमारी किसी के साथ भाग गयी है। मैं नहीं पुछा कि वह किसके साथ भागी है। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। उक्त साक्षी को न्यायालय द्वारा अभियोजन के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। तत्पश्चात् उक्त साक्षी ने प्रतिरक्षा पक्ष के समक्ष अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि घटना के बारे में मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। मेरी पत्नी ने तथाकथित घटना के संबंध में मेरी कभी बात नहीं हुई थी न ही कोई मुझे बताया है। मैंने स्वेच्छा से गवाही दी है।

9. *अभियोजन साक्षी संख्या–2 परशुराम गोंड़ हैं,* ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। उक्त साक्षी को न्यायालय द्वारा अभियोजन के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। तत्पश्चात् उक्त साक्षी ने प्रतिरक्षा पक्ष के समक्ष अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मैंने स्वेच्छा से गवाही दी है।

10. *अभियोजन साक्षी संख्या–3 हरेन्द्र राय जो इस प्रकरण के सूचक एवं पीड़िता के पिता हैं,* ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना आज से करीब 07 वर्ष पूर्व समय 03 बजे दिन की है। खाना बनाने के दौरान मेरी पुत्री रिंकी कुमारी और मेरी पत्नी सीता देवी के बीच झगड़ा हो गया जिसके बाद मेरी पुत्री गुस्सा होकर भाग गयी। घटना के संबंध में मैंने अभियुक्तगण नरसिंह राम और प्रेम राम के विरूद्ध केस किया था तथा उसी आशय का लिखित आवेदन मैंने थाना पर लिखवाकर दिया था जिसपर मैं अपना हस्ताक्षर (पी.ई.एक्स. 1) बनाया था जिसे मैं पहचान करता हूँ।

उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि आवेदन लिखने वाले ने आवेदन पढ़कर मुझे नहीं सुनाया था। आवेदन कौन लिखा था, उसका नाम मैं नहीं बता सकता हूँ। मेरे पुत्री रिंकी कुमारी का किसी ने अपहरण नहीं किया था। मॉ और बेटी के बीच झगड़ा हो जाने के कारण मेरी पुत्री भागकर अपने मामा के घर चली गयी थी तथा केस की जानकारी होने पर घर आयी थी। घटना के समय मेरे पुत्री की उम्र करीब 19 वर्ष थी। मेरी पुत्री पढ़ी–लिखी नहीं है। अभियुक्तगण मेरी पुत्री का अपहरण नहीं किये थे।

11. उभय पक्षों का सम्पूर्ण बहस सुना एवं साक्षियों के साक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन किया। प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस में कथन है कि अभियोजन के द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों में से किसी भी साक्षी ने अभियुक्त के विरूद्ध ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे उसे दोषसिद्ध किया जा सके। अतः विचारण का सामना कर रहे अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

अभियोजन की ओर से विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा औपचारिक बहस किया गया।

12. उभय पक्षों का बहस सुनने पश्चात् एक बार पुनः अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा सूचक सहित कुल तीन साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष कराया गया है जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या–1 न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित किये गये हैं तथा अपने साक्ष्य के पैरा–6 तथा 7 में कथन किये हैं कि घटना के बारे में मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। मेरी पत्नी ने तथाकथित घटना के संबंध में मेरी कभी बात नहीं हुई थी न ही कोई मुझे बताया है। अभियोजन साक्षी संख्या–2 घटना के बारे में जानकारी होने से इंकार किये हैं तथा न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित किये गये हैं। अभियोजन साक्षी संख्या–3 (सूचक) अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के पैरा–2 में यह कथन किया है कि खाना बनाने के दौरान मेरी पुत्री रिंकी कुमारी और मेरी पत्नी सीता देवी के बीच झगड़ा हो गया जिसके बाद मेरी पुत्री गुस्सा होकर भाग गयी। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–5 में यह कथन किया है कि मेरी पुत्री रिंकी कुमारी का किसी ने अपहरण नहीं किया था। मॉ और बेटी के बीच झगड़ा हो जाने के कारण मेरी पुत्री भागकर अपने मामा के घर चली गयी थी तथा केस की जानकारी होने पर घर आयी थी। घटना के समय मेरे पुत्री की उम्र करीब 19 वर्ष थी। अभियोजन न्यायालय के समक्ष पीड़िता को साक्ष्य हेतु उपस्थापित कराने में असफल रहा है यद्धपि न्यायालय के समक्ष धारा 164 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत दर्ज बयान में पीड़िता ने यह कथन की है कि मुझे कोई बहला या फुसलाकर भगाकर नहीं ले गया था। मैं अपनी मर्जी से अपने परिवार वालों से नाराज होकर फुआ के घर चली गयी थी। इस प्रकार पीड़िता ने भी अपने धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान में अपने अपहरण की बात को पूरी तरह से नकार दी है।

12. उपरोक्त विवेचना, तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों के परे साक्ष्य द्वारा साबित करने में असफल रहा है। फलतः

–:आदेशः–

प्रस्तुत वाद के अभियुक्त प्रेम राम को उसके विरूद्ध आरोपित आरोप की धारा 363, 366ए भा.दं.वि. के अन्तर्गत साक्ष्य के आभाव में **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं। अतः अभियुक्त को उनके प्रतिभूओं के दायित्वों से उन्मुक्त किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि द0प्र0सं0 की धारा 365 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णय की प्रति को जिला दण्डाधिकारी बेतिया, पश्चिम चम्पारण को प्रेषित करें तथा अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

यह निर्णय मेरे द्वारा लेखापित, शुद्धित, दिनांकित एवं मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित एवं संशोधित

Sd/-

(रवि रंजन)
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
बगहा, पश्चिम चम्पारण।
दिनांकः–25.03.2026

लेखापित

Sd/-

(रवि रंजन)
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
बगहा, पश्चिम चम्पारण।
दिनांकः–25.03.2026

<u>फार्म – सी</u>

<u>अभियोजन पक्ष / बचाव पक्ष / न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सूची</u>

अ. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सूची :–

क.सं.	**नाम**	**प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंच साक्षी व अन्य साक्षी)**
अ.सा. 1	रमेश यादव	अन्य साक्षी
अ.सा. 2	परशुराम गोंड़	अन्य साक्षी
अ.सा. 3	हरेन्द्र राय	सूचक / पीड़िता के पिता

ब. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सूची :– (यदि कोई)

क.सं.	**नाम**	**प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी व अन्य साक्षी)**
ब.प.सा. 1	कोई नहीं	

स. न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सूची :– (यदि कोई)

क.सं.	**नाम**	**प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी व अन्य साक्षी)**
न्या.सा. 1	कोई नहीं	

<u>अभियोजन पक्ष / बचाव पक्ष / न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श सूची</u>

अ. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श सूची :–

क.सं.	**प्रदर्श संख्या**	**वर्णन**
1.	प्रदर्श 1	लिखित आवेदन पर अ0सा0–3 के हस्ताक्षर को

ब. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श सूची :– (यदि कोई)

क.सं.	**प्रदर्श संख्या**	**वर्णन**
1.	कोई नहीं	

स. न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श सूची :– (यदि कोई)

क.सं.	**प्रदर्श संख्या**	**वर्णन**
	कोई नहीं	

द. वस्तु प्रदर्श की सूची :– (यदि कोई)

क.सं.	**प्रदर्श संख्या**	**वर्णन**
	कोई नहीं	

Sd/-
(रवि रंजन)
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
बगहा, पश्चिम चम्पारण।
दिनांकः–25.03.2026

Sd/-
(रवि रंजन)
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
बगहा, पश्चिम चम्पारण।
दिनांकः–25.03.2026

Date of Judgment/Order	25.03.2026
Date of Reserving Judgment/Order	17.03.2026
Uploading Date	07.04.2026
Uploaded by	Sri Rajeev Kumar, DWTC